भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 3850

सोमवार, 16 मार्च, 2026/25 फाल्गुन, 1947 (शक)

पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता

3850. डॉ. काकोली घोष दस्तीदार:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता को स्पष्ट रूप से समयबद्ध जारी अनुसूचियों के साथ स्पष्ट ऋण-समेकन लक्ष्यों से जोड़ा जाएगा तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) खराब होती आर्थिक स्थिति वाले राज्यों के लिए सुधारात्मक योजनाओं को लागू करने और अपने ऋण को सतत रूप से कम करने वाले राज्यों को पुरस्कृत करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख)**:** वर्तमान में पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के अंतर्गत सहायता को स्पष्ट रूप से समयबद्ध रिलीज अनुसूची के साथ स्पष्ट ऋण-समेकन लक्ष्यों से जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सभी राज्यों ने अपना राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम अधिनियमित किया है, जो राज्य सरकार को राजस्व घाटे के उत्तरोत्तर उन्मूलन, राजकोषीय घाटे में कमी, राजकोषीय स्थिरता के अनुरूप विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन और राज्य सरकार के राजकोषीय संचालन में अधिक पारदर्शिता के माध्यम से राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी बनाता है। इसकी निगरानी राज्य विधानमंडल द्वारा की जाती है।